संख्या- 2/2020/बी-3- 197/दस-2020-20(10)/2008

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन/
महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/
जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2020

विषयः राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भवन निर्माण/क्रय, भवन मरम्मत/विस्तार, व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय, मोटर वाहन क्रय एवं सायकिल क्रय अग्रिम के ऑकडों के मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ(अंतिम) त्रैमास के आकंड़ों का महालेखाकार कार्यालय में लेखांकित ऑकडों से मिलान दिनांक 03.07.2020 से दिनांक 15.07.2020 तक की निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कराये जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या 23/2020/ बी-2-102/दस-2020-आर-2/2016 टी0सी0, दिनांक 29.05.2020 के सन्दर्भ में अनुरोध है कि कृपया आपके विभाग/कार्यालय द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त विभिन्न अग्रिमों के आहरण एवं वसूली के वित्तीय वर्ष 2019-2020 के चतुर्थ(अंतिम) त्रैमास के ऑकडों का मिलान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- जिन नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराया जायेगा तो उसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़े अन्तिम समझे जायेंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या -2/2020/बी -3-197(1)/दस-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद। ।
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय।
4- राज्यपाल सचिवालय
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in